(वाद संख्या–4917/18)

04.03.2020

परिवादी, अमरेन्द्र कुमार सिन्हा, बर्खास्त राजस्व कर्मचारी, बाढ़ अपने अधिवक्ता श्री राजीव कुमार सिन्हा के साथ उपस्थित हैं।

मामले से संबंधित तथ्य संक्षेप में निम्नलिखित हैः–

परिवादी को निगरानी अन्वेषन ब्यूरो, पटना द्वारा दिनांक–23.01.2015 को 9000/– हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया जिसके संबंध में निगरानी थाना कांड संख्या–007/2015, दिनांक–23.01.2015 संस्थित किया गया जो वर्त्तमान में सुनवाई हेतु विशेष न्यायालय, पटना में विचाराधीन है। उक्त के आलोक में सरकार द्वारा उसे विधिनुसार सेवामुक्त (बर्खास्त) कर दिया गया।

परिवादी का कथन है कि सेवा बर्खास्तगी के उपरान्त उसे सरकार द्वारा उसके सामान्य भविष्य निधि में संचित राशि, समूह जीवन बीमा में संचित राशि तथा वेतन की अन्तर राशि का भुगतान किया जा चुका है। परिवादी का यह भी कथन है कि उसकी ओर से उपरोक्त गिरफ्तारी के बाद विभागीय कार्रवाई के उपरान्त सेवा से अपनी बर्खास्तगी को लेकर माननीय पटना उच्च न्यायालय में एक CWJC N0- 10251/17 संस्थित किया गया है जो वर्त्तमान में सुनवाई हेतु लंबित है।

परिवादी की ओर से आयोग से पेंशन, उपादान तथा संचित अर्जित अवकाश के बदले समतुल्य नगद राशि के भुगतान का अनुरोध किया गया है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि बिहार पेंशन नियमावली में बर्खास्त कर्मचारियों को पेंशन, उपादान तथा संचित अर्जित अवकाश के समतुल्य नगद राशि का भुगतान नहीं किये जाने का प्रावधान है।

जहां तक परिवादी को रिश्वत लेते हाथ पकड़े जाने सम्बन्धी मामले में गलत रूप से फंसाये जाने का प्रश्न है यह प्रश्न वर्त्तमान में सक्षम विशेष न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है तथा उक्त के संबंध में आयोग द्वारा कोई मन्तव्य व निर्देश दिया जाना उचित नहीं होगा।

अतः उपरोक्त परिस्थिति में प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पाकर आयोग के स्तर पर बंद किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

सहायक निबंधक